



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277014
CG-DL-E-09102026-277014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5289]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5289]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5501(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 (1956 का48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त धिनियम कहा गया है) की धारा-3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 1683 (अ) दिनांक 01 अप्रैल, 2026

भारत के राजपत्र में प्रकाशित आसाधारण भाग- (11), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) अधिसूचना संख्या कां.आ. 1683 (अ) दिनांक 01 अप्रैल 2026 के दिनांकित में

निम्नांकित संशोधन करती है।

जरूरी बदलाव की जानकारी नीचे दी गई है-

क्रमांक संख्या	मूल अधिसूचना/बाद की अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले		विषय में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है
	जगह	मामले का विवरण	
1	क्रमांक 1, स्तंभ 5	जिले का नाम	जिले का नाम
		अयोध्या	गोण्डा

फुटनोट:-

मुख्य अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1683 (अ), दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित गई थी।

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-330 (Gonda Bypass Eastern part)/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5501(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1683(E), dated 1st April, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 1683(E), dated 1st April, 2026 namely:

Details of amendment required are as under-

Sr. No.	Matter in principal notification that requires amendment		Matter to be amended as
	Location	Details of matter	
1	Serial No. 1, Column 5	Name of the district	Name of the district
		Ayodhya	Gonda

Foot Note: - The Principal notification was published vide number S.O. 1683 (E), Dated 1st April, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii)

[F. No. CE-RO/LKO/NH-330 (Gonda Bypass Eastern part)/2025-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director